Report of the

Society for Social Audit, Accountability and Transparency
Govt. of Rajasthan, Jaipur

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2024–2025

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर
Email id :dir.socialaudit@rajasthan.gov.in
WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष– 2024-25

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

Social Audit Report
2024-25

ग्राम पंचायत बसई नवाब पंचायत समिति सैपऊ में लाभार्थी रीना राजकुमार निर्मित आवास

ग्राम पंचायत कुरज पंचायत समिति रेलमगरा लाभार्थी सरोज देवी/पुष्कर यादव का निर्मित आवास

क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय	5
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य	6
	2.1 योजना के लाभार्थी	7
	2.2 लाभार्थी के कर्त्तव्य	8
	2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान	9
	2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ	9
	2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ	10
3.	**सामाजिक अंकेक्षण**	11
	3.1 प्रस्तावना	11
	3.2 सामाजिक अंकेक्षण– उद्देश्य	12
	3.3 सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) का गठन	13
	3.4 कार्यान्वयन संस्था	14
	3.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	14
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता	15
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य	16
6.	सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता	17
7.	सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)	18
8.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण	19–23
9.	पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2023–24 में किये गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु	24
	9.1 अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना	24
10.	वर्ष 2023–24 में किए गए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं	25–31
	10.1. अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	32
	10.2 संभागवार विवरण अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	**33**

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय

स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक यह गरीबी उपशमन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी, 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। यद्यपि आईएवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जरूरतें पूरी की गई थीं, फिर भी वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कराई गई निष्पादन लेखापरीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन के दौरान कतिपय कमियों का पता चला था।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने और वर्ष 2022 तक **"सभी के लिए मकान"** उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) (पीएमएवाई–जी) में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई–जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को तीन वर्षों में अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक मकान उपलब्ध कराना है। मकान के न्यूनतम आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर साफ–सुथरे रसोई घर सहित 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. कर दी गई है। लाभार्थी मनरेगा योजना से 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी पाने के हकदार हैं। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम–जी, मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का भी प्रयास किया जाता है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) (PMAY-G) के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चें तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारो को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सब के लिए घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड आवासो का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के तीन वर्षो में बेघर परिवारों/जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहने वाले एक करोड परिवारो का लाभ पहुँचाना तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजाईन तथा प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे मकानों के निर्माण में मदद करना है। मकान को घर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से पर्यावास दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

2.1 योजना के तहत लाभार्थी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

- वरीयता सूची में सम्मिलित परिवार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत ई–मित्र पर नि:शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। वरीयता के आधार पर स्वीकृति जारी होने पर स्वीकृति की प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराते हुए लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्रथम किश्त हस्तांतरित की जाती है।

सहायक दस्तावेज

- आधार कार्ड की प्रति लाभार्थी के सहमति पत्र के साथ
- बैंक पासबुक की प्रति
- जमीन पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड की प्रति
- मोबाईल नंबर (स्वयं या परिचित का)
- नरेगा जॉब कार्ड

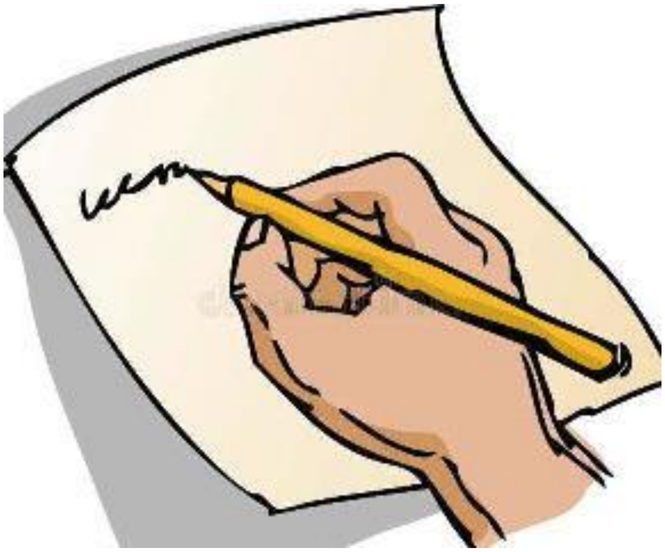

2.2 लाभार्थी के कर्त्तव्य

- लाभार्थी को प्रथम किश्त प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराना होगा।
- निर्मित आवास पर योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) लगाने पर ही पूर्ण माना जावेगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय प्रस्तावित निर्माण स्थल में परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते का विवरण स्वीकृति उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति पर एक बार ही परिवर्तन हो सकेगा। अतः खाते को आवास पूर्ण होने तक परिचालन में रखना आवश्यक होगा।
- प्रथम किश्त प्राप्ति के एक वर्ष उपरांत भी आवास निर्माण नहीं कराये जाने पर अनुदान राशि स्वत: ही बंद होने का प्रावधान, जिसको पुनः सक्षम स्तर से ही बढाने का प्रावधान है।

लाभार्थियों के मकान निर्माण के 7 चरण

1. आवास की स्वीकृति
2. नींव रखना
3. कुर्सी क्षेत्र
4. विंडोसिल
5. लिंटेल
6. रूफकास्ट
7. समापन

2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान

- आवास के साथ रसोईघर निर्माण का भी प्रावधान कर निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) निर्धारित किया गया है।
- आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी के द्वारा एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना होगा।
- पंजीकरण हेतु लाभार्थी का अथवा परिचित का मोबाईल नम्बर अनिवार्य किया है।
- अनुदान राशि का हस्तान्तरण PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में। स्वीकृति के लिए वर्तमान निवास एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल की Geo Tagged फोटो अनिवार्य है।
- ग्रामसभा द्वारा तैयार वरीयता सूची क्रम में आवाससॉफ्ट के माध्यम से स्वीकृति जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाभार्थी को स्वीकृति की प्रति दिया जाना अनिवार्य है।
- योजना की प्रगति एवं किश्त की जानकारियों के लिए गूगल / एपल प्ले स्टोर पर "AwaasApp" निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग लाभार्थी अपने स्वयं के मोबाईल नम्बर को आवाससॉफ्ट पर पंजीकृत करवाकर कर सकता है।
- लाभार्थी अनुमोदित आवास डिजाईनो में से किसी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाईन का आवास निर्माण कर सकता है।

2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ

- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स के तहत 90 अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक वर्तमान में (राशि रू. 23,940/– {266X90}) देय है।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि / उद्यानिकी, लघु सिंचाई के कार्य कराये जा सकते हैं।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र लाभार्थियों के आवास के साथ–साथ पशु छाया गृह निर्माण भी कराया जा सकता है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति / सौभाग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित JJM(जल जीवन मिशन) के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध ।
- उज्जवला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन।
- श्रमिक कार्ड जारी करवाकर श्रम विभाग की योजनाओ का लाभ ।

2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ

योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय अनुदान राशि रू 1,20,000/– आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 3 किश्तों में देय है। प्रथम किश्त आवास स्वीकृत होने पर रू 15,000/– द्वितीय किश्त व कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर रू 45,000/– तृतीय किश्त शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर रू 60,000/– देय है ।

किश्त	आवास निर्माण स्तर	वित्तीय वर्ष 2016–17 में देय राशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में देय राशि	वित्तीय वर्ष 2019–20 से देय राशि
प्रथम	स्वीकृति के साथ	30000	30000	15000
द्वितीय	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर	60000	48000	45000
तृतीय	शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने पर	30000	42000	60000

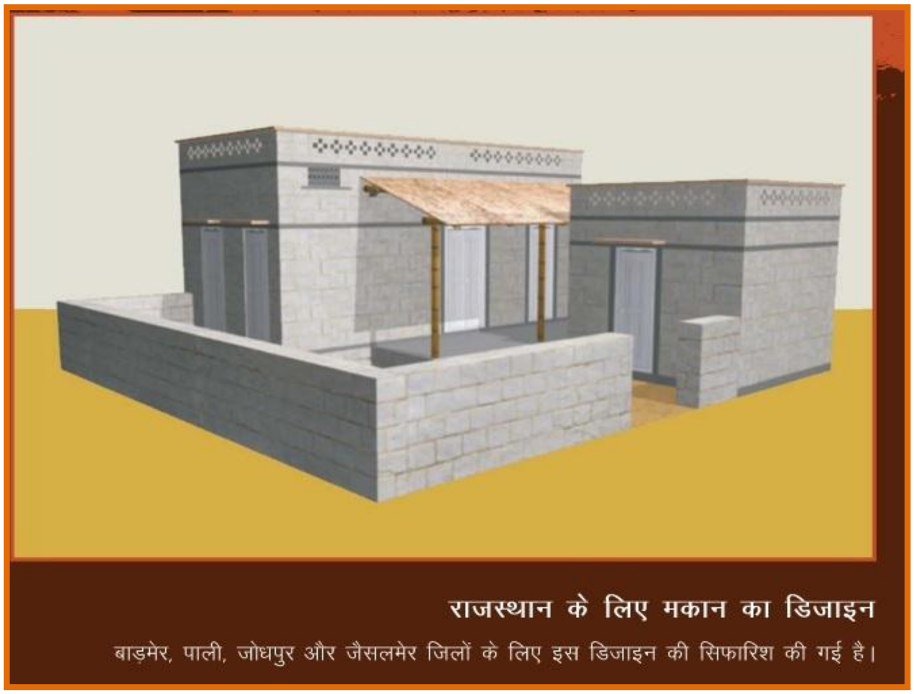

3. सामाजिक अंकेक्षण

3.1 प्रस्तावना

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था । सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहत्तर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजना, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पन्द्रहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है ।

3.2 सामाजिक अंकेक्षण– उद्देश्य

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ति करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009–10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायतीराज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। MGNREGA के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है–

01.सूचनाओं एवं अभिलेखों का संकलन

02.क्षेत्र भ्रमण एवं जांच

03.ड्राफ्ट प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा की बैठक की तैयारी

04.ग्राम सभा की बैठक एवं प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना

05.प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं फालोअप

06.सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना

3.3 सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA Vii/ pt- दिनांक 11-08-2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11 (8)/ग्रा.वि. / नरेगा / सिविल सोसायटी / सा.अंके./ 2015 दिनांक 19-06-2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49 / मं.मं. / 2019 दिनांक 27-06-2019 (परिशिष्ट-1) पालना में सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20-08-2019 है । (परिशिष्ठ-2)

सामाजिक लेखापरीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19-09-2019 में प्रकाशित की गई है ।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

3.4 कार्यान्वयन संस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत क्रियान्वन संस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार है।

इस योजना के तहत, नाबार्ड ने 2017–18 से 2021–22 तक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA), भारत सरकार के SPV को केंद्रीय हिस्से के आंशिक वित्तपोषण के लिए ऋण दिया है

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार है।

3.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1&11011/05/2013&RH दिनांक 17 फरवरी, 2015 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के तहत योजनान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के पैरा संख्या 8.3 व पैरा 8.3.3 के अनुसार योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के लिए निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा को अधिकृत किया है एवं योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, समन्वय हेतु जिला परिषदों को हस्तान्तरित राशि से 1 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का प्रत्येक छः माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने का प्रावधान है, उक्त योजना के साथ–साथ इस अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत समस्त कार्यों एवं स्वीकृत, प्रगतिरत एव पूर्ण आवास लाभार्थियों के सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना – 2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवाहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होंगे।

परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड होने पर ही मान्य होगी।

1. मोटर साईकल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टैक्स देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वंय का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10. स्वंय का लेण्डलाईन फोन होने पर।
11. स्वंय 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12. 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर।
13. 7.5 एकड भूमि के साथ या अधिक, का एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14. किसी अन्य आवास योजना पूर्व में लाभान्वित होने पर।

उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार/वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थी के नाम के आगे सम्भावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जावेगा।

मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरान्त अपात्र परिवारों के सम्मुख अपात्रता के कारण स्पष्ट उल्लेखित/अंकन किया जावेगा। ग्राम पंचायतवार वरीयता सूचीयों की संकलित प्रति पंचायत समितिवार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों/जनप्रतिनिधियों/राजकीय कार्यालयों में आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

पंचायतीराज संस्थानों द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। यह एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है न कि दोष खोजने की प्रक्रिया। यह एक बैलेंस शीट दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए (सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, भविष्य में जिन क्षेत्रों से बचना चाहिए और साथ ही गंभीर अनियमितताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा के अन्य उद्देश्य पंचायतीराज संस्थानों द्वारा जारी अनुदानों में शामिल हैं:–

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अनुदान और उनके उपयोग के बारे में ग्रामीण नागरिकों के बीच सूचना प्रसारित करना और जागरूकता फैलाना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उपयोग में शामिल प्राथमिक हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- समुदाय को बढ़ावा देना आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली।
- पंचायतीराज संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई (जनसुनवाई) जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों की सुविधा के लिए जहां लाभार्थी, निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायतीराज संस्थानों के पदाधिकारी और अन्य हितधारक अपनी आवश्यकताओं, शिकायतों और मुद्दों को व्यक्त कर सकते हैं।
- निर्धारित प्रक्रियाओं और रिसावों में विचलन को कम करके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अनुदान के उपयोग को मजबूत करना।
- शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना।

6. सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना है जो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास समर्पित योजना है। एक मजबूत एमआईएस यानी आवाससॉफ्ट के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखने के अलावा, स्वतंत्र रूप से निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन क्षेत्र स्तर की चुनौतियों को प्रकाश में लाएगा जो अन्यथा दिखाई नहीं दे सकती हैं। इससे सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि योजना की निगरानी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट एक शक्तिशाली उपकरण है और इससे कार्यान्वयन में सुधार होता है ।

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

7. सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)

सामाजिक लेखापरीक्षा दल और रिसोर्स पर्सन लाभार्थियों के साथ में प्रक्रिया और प्रक्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित का सत्यापन करेगें :-

- क्या लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जानकारी दे दी गई है ?
- क्या पीएमएवाई जी के तहत सहायता पाने के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची एसईसीसी–2011 के आंकड़ों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर ली गई है ?
- क्या प्राथमिकता सूची से हटाने अथवा उसमें परिवर्तन किए जाने से संबंधित अपील अवसरों का लाभ मिल चुका है ?
- क्या पूरी प्रक्रिया और सूचियों को व्यापक रूप से प्रचारित कर दिया गया है ?
- क्या लाभार्थियों की वार्षिक चयन सूची स्थाई प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर ली गई है ?
- क्या लाभार्थी का पंजीकरण आवास सॉफ्ट आदि में समय से दर्ज कर लिया गया है ?

उपरोक्त सत्यापन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा दल के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता उस वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, जो उस ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ग्राम सभा या जो भी लागू हो उन सभी लाभार्थियों के लिए एक मंच होगा, जो लाभार्थियों की अंतिम सूची और वार्षिक चयन सूची और पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे उठाने वाले अन्य ग्रामीणों के रूप में हों। सरकार सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं की उचित तरीके से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और इन्हें पी. एम. ए. वाई. जी. वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निष्पादन और प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र लागू किया गया है। आवाससॉफ्ट में वर्कफ्लो आधारित ट्रांजेक्शनल डाटा का उपयोग करते हुए प्रगति को रीयल टाइम दर्ज करते हुए निष्पादन निगरानी की जाती है। निगरानी के लिए केंद्रीय दलों द्वारा निरीक्षण, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति द्वारा निगरानी, लेखापरीक्षा और राज्यस्तरीय पीएमयू के द्वारा जांच जैसी व्यवस्था अपनाई जाती है।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण

सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में **कुल 33 जिलों का सामाजिक अंकेक्षण** किया गया, जिनका संभागवार विवरण निम्नानुसार है:—

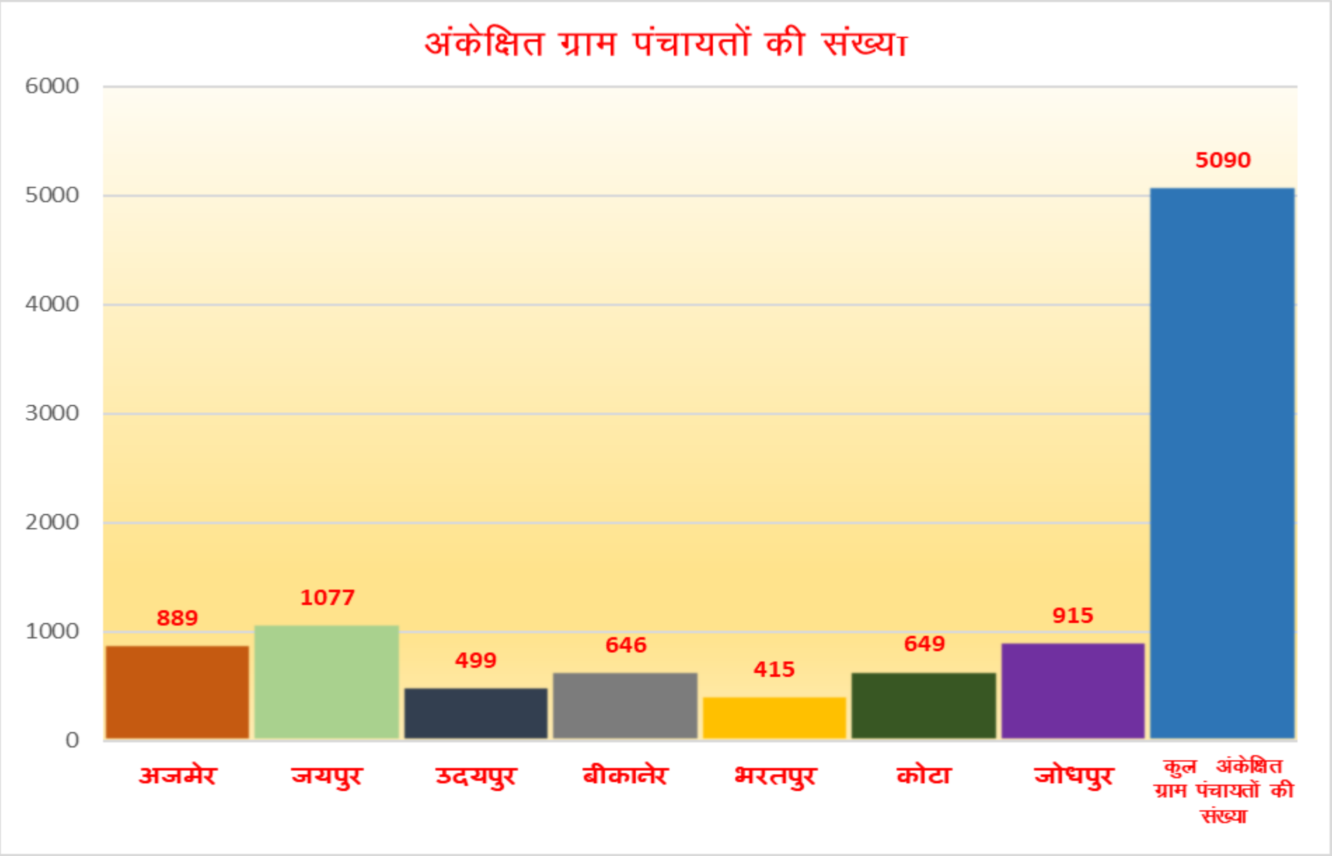

संभाग का नाम	अजमेर	जयपुर	उदयपुर	बीकानेर	भरतपुर	कोटा	जोधपुर	कुल अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	889	1077	499	646	415	649	915	5090

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2022—23, 2023—24 व 2024—25 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.सं	जिले का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
			वित्तीय वर्ष 2022—23	वित्तीय वर्ष 2023—24	वित्तीय वर्ष 2024—25	कुल आवासों की संख्या	
1	अजमेर	325	0	0	7424	1449	295
2	अलवर	552	0	0	4520	791	209
3	बांसवाड़ा	417	0	0	38804	4433	145
4	बारां	228	0	0	17987	1370	91
5	बाड़मेर	688	0	0	27045	5491	137
6	भरतपुर	400	0	0	398	87	68
7	भीलवाड़ा	396	0	0	21155	2919	274
8	बीकानेर	366	0	0	20006	815	29
9	बूंदी	182	0	0	13256	642	142
10	चित्तौड़गढ़	298	0	0	13851	1658	83
11	चुरु	304	0	0	10750	1304	249
12	दौसा	279	0	0	2865	407	179
13	धौलपुर	188	0	0	3122	564	93
14	डूंगरपुर	353	0	0	3119	3305	59
15	हनुमानगढ़	268	0	0	11517	1030	159
16	जयपुर	583	0	0	5748	544	86
17	जैसलमेर	206	0	0	9204	1074	118
18	जालौर	305	0	0	11811	1889	217
19	झालावाड	254	0	0	23832	7034	315
20	झुंझुनू	332	0	0	1122	160	197
21	जोधपुर	617	0	0	21500	3220	228
22	करौली	240	0	0	12187	544	72
23	कोटा	155	0	0	14265	1637	101
24	नागौर	497	0	0	18479	1934	193
25	पाली	339	0	0	10987	2319	113
26	प्रतापगढ़	233	0	0	22356	1475	41
27	राजसमंद	213	0	0	8261	1313	29
28	सवाई माधोपुर	224	0	0	16578	1320	182
29	सीकर	373	0	0	3067	336	406
30	सिरोही	170	0	0	11821	1255	102
31	श्रीगंगानगर	344	0	0	19921	3214	209
32	टोंक	235	0	0	14310	2749	127
33	उदयपुर	632	0	0	51005	3087	142
	कुल योग	**11196**	**0**	**0**	**472273**	**61369**	**5090**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2024—25 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण संभागवार चार्ट निम्नानुसार है :—

अजमेर संभाग :— अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाडा

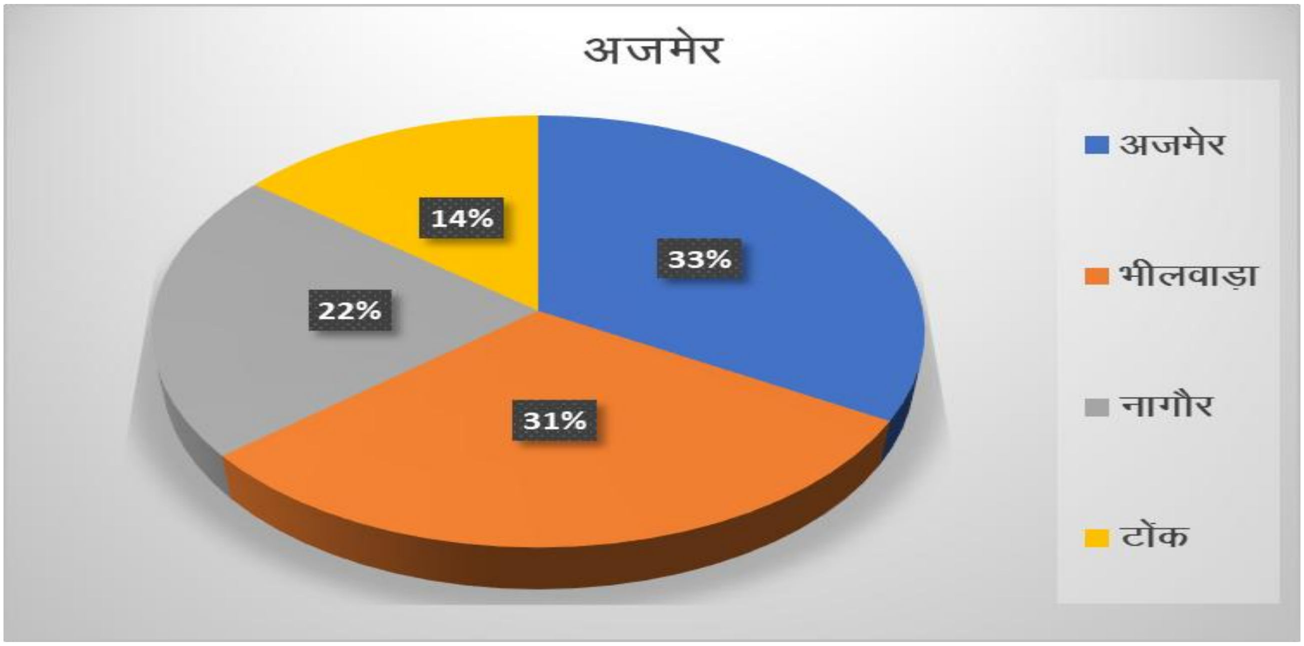

जयपुर संभाग:— जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर

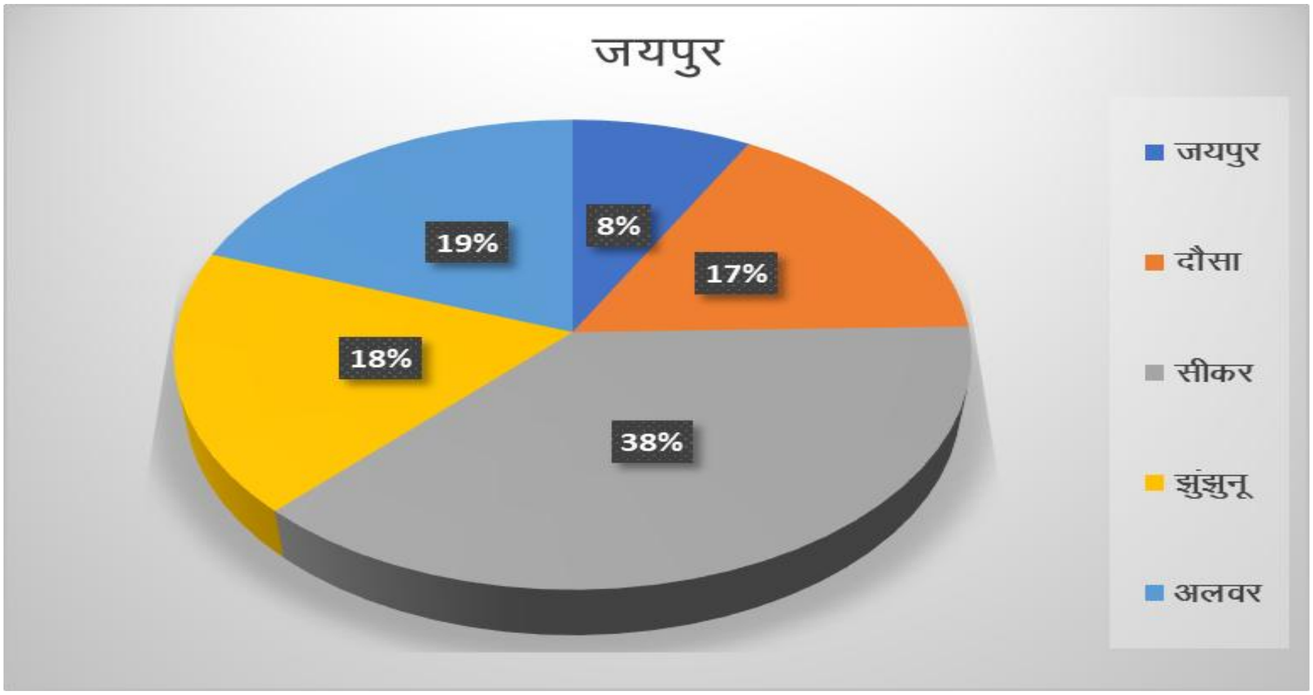

उदयपुर संभाग :– उदयपुर, प्रतापगढ, चितौडगढ, डुंगरपुर, बांसवाडा, राजसमद

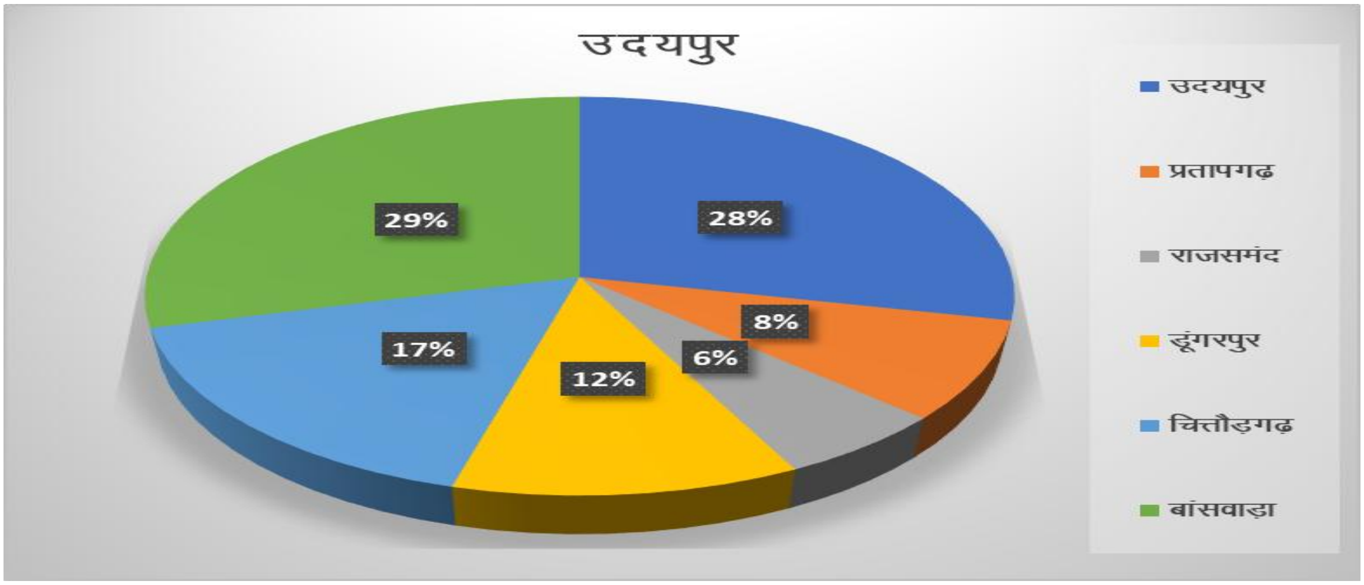

बीकानेर संभाग :– श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चुरु, बीकानेर

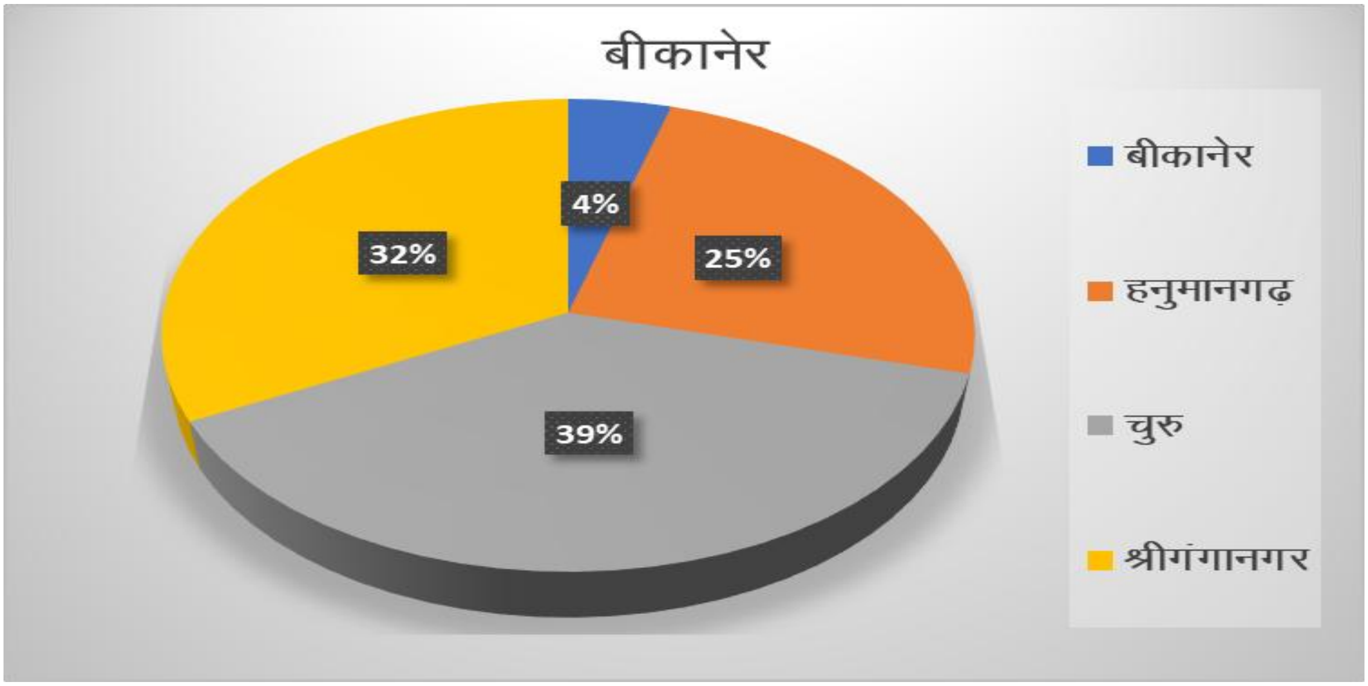

भरतपुर संभाग :— भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर

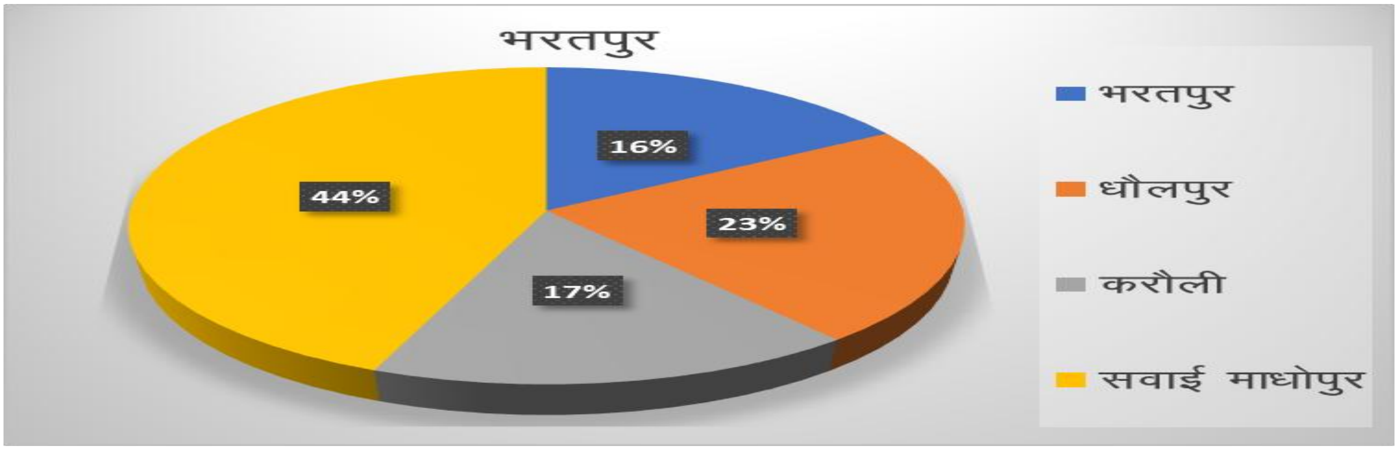

कोटा संभाग :— कोटा, झालावाड, बुंदी, बांरा

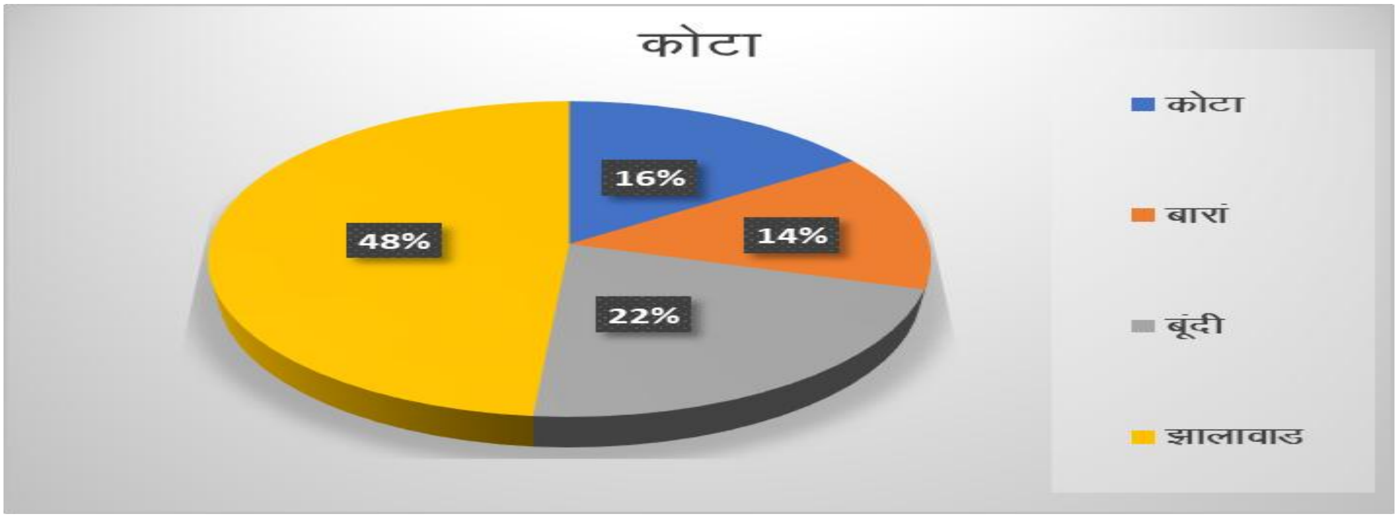

जोधपुर संभाग :— जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर

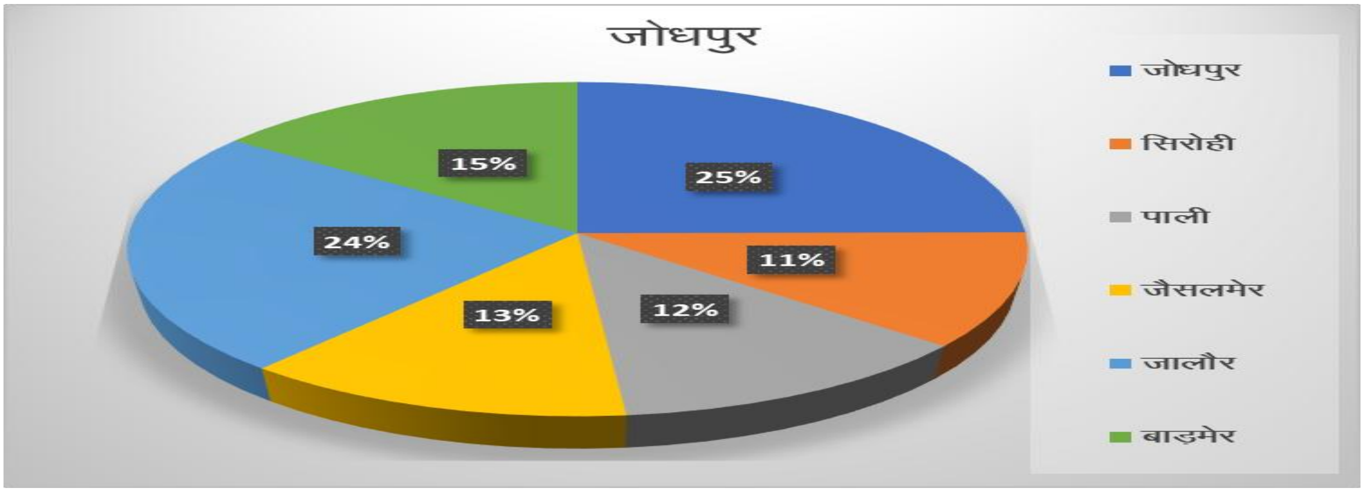

9.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2024–25 में किए गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु

- आवास की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी।
- महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया।
- वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं।
- अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का आवास होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति)।
- लाभार्थी को नरेगा से कार्य उसके जॉब कार्ड की बजाय लाभार्थी की सहमति के बिना अन्य किसी के जॉब कार्ड पर दिया गया ।
- लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया ।
- राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित आवास पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी)।
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन ।
- लाभार्थी द्वारा अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई ।
- राजकीय भूमि पर आवास निर्मित ।

9.1अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना

- शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं ।
- आवास में बिजली कन्क्शन है या नहीं ।
- राज्य /केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधनों के अनुसार सोलर लाइट/सोलर स्ट्रीट लाइट है या नहीं ।
- स्वच्छ पेयजल है या नहीं ।
- उज्जवला योजनान्तर्गत गैस उन्नत चूल्हा उपलब्ध कराया गया है या नहीं ।
- आवास का उपयोग रिहायशी के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं ।
- **PMAY(G)** लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नही

10. वित्तीय वर्ष 2024–25 में किए गए सामजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 33 जिलों की गूगल लिंक पर अपलोड 5090 अंकेक्षण रिपोर्ट्स का अध्ययन कर उक्त अनियमितताए दर्शायी गई है :-

क.स.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	PMAYG ID	लाभार्थी का नाम	पाई गई अनियमितता का विवरण
1	बूंदी	खेरखाता	हिंडोली	RJ141281991	मोहन / कल्याण	प्लास्टर में कमी। नींव स्तर तक कार्य उपरान्त भी केवल पहली किस्त मिली
2	बूंदी	नैनवा	खाजुरी	RJ2761841	ममता बाई / प्रकाश बाई	आवास निर्मित नहीं फिर भी भुगतान कर दिया
3	बूंदी	हिंडोली	काछोला	-	श्रीमती पपीता मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
4	बूंदी	नैनवा	मेंरा	RJ12513234	बाबुलाल / प्रभुलाल गंर्जर	सूचना बोर्ड का अभाव
5	बूंदी	केशोरायपाटन	गुढ़ली	RJ130747665	कस्तुरी बाई / लटुरबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
6	बूंदी	केशोरायपाटन	गुढ़ली	RJ130745798	महेश कुमार	सूचना बोर्ड का अभाव
7	बूंदी	नैनवा	आनरांदा	RJ3367533	राममूर्ति	सूचना बोर्ड का अभाव
8	बूंदी	नैनवा	राजलावटा	RJ14139839	नेन्हूलाल / धन्नालाल	सूचना बोर्ड का अभाव
9	बूंदी	के० पाटन	अजांदा	RJ113916930	शम्भूलाल / गोपाल मीणा	सूचना बोर्ड का अभाव
10	बूंदी	तालेड़ा	जमीतपुरा	RJ139269163	मेराज बानों	सूचना बोर्ड का अभाव
11	बूंदी	बूंदी	रिहाना	RJ149260988	सुमित्रा बाई	प्लास्टर ,सूचना बोर्ड का अभाव
12	बूंदी	बूंदी	सिलोरे	RJ1379951096	कान्तीबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
13	बूंदी	तालेड़ा	ठिकरिया चारनान	RJ135584026	केसरबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
14	बूंदी	हिंडोली	सेहसपुरिया	RJ27230011410270	कन्याबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
15	बूंदी	हिंडोली	टोकड़ा	-	विमला बाई / मोहन	सूचना बोर्ड का अभाव
16	बूंदी	हिंडोली	विजयगढ़	RJ141526365	कांताबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
17	बूंदी	हिंडोली	साथूर	RJ142326434	रामप्यारीबाई	आवास अपूर्ण, लाभार्थी की जगह जानवर बांधे हुए हैं
18	बूंदी	हिंडोली	चेता	RJ118319572	कैलाशी बाई	लोगो नहीं मिला, प्लास्टर का अभाव
19	बूंदी	हिंडोली	हिंगोनिया	RJ1810334	संजय गोपाल	लाभार्थी की सहमति बिना अन्य जाबकार्ड धारक को भुगतान
20	बूंदी	के० पाटन	रोटेका	RJ120879138	मोहम्मद इदरिस / अब्दूल रज्जाक	दरवाजे खिडकियों का प्लास्टर नही ।
21	बूंदी	हिंडोली	बडोदिया	RJ141345666	सोहनी बाई	लोगो नहीं मिलाए प्लास्टर का अभाव
22	बूंदी	हिंडोली	अलोडे	RJ141410460	मंजीत दयाल सिंह	लोगो नहीं मिला, प्लास्टर का अभाव
23	बूंदी	तालेड़ा	धनेश्वर	RJ118598479	विद्याबाई / मन्नालाल	लोगो नहीं मिला

24	बूंदी	तालेड़ा	भुमाखेडा	RJ135786707	संजयबाई	लाभार्थी को 90 दिवस का भुगतान न देकर 26 दिवस का ही दिया गया।
25	बूंदी	तालेड़ा	ठिकरिया चारण	RJ 136181772	टिडाबाई	सूचना बोर्ड का अभाव
26	चित्तौड़गढ़	भादेसर	नपावली	RJ114001145	भोमीलाल	कम मजदूरी दी गयी।
27	चित्तौड़गढ़	भेसरोगढ	रेनखेडा	RJ100113941	प्रभुलाल/मोहनलाल	सूचना बोर्ड का अभाव
28	चित्तौड़गढ़	भेसरोगढ	रेनखेडा	RJ100505075	गुडडी बाई/सत्यनारायण गुर्जर	सूचना बोर्ड का अभाव
29	चित्तौड़गढ़	भेसरोगढ	रेनखेडा	RJ100113941	मांगीलाल/भुवाना	सूचना बोर्ड का अभाव
30	चित्तौड़गढ़	राशमी	जडाना	RJ113550588	देरूबाई/कालुराम भील	सूचना बोर्ड का अभाव
31	चूरू	बीदासर	रेडा	RJ131863003	हुलासी	सूचना बोर्ड का अभाव
32	चूरू	बीदासर	कटरछोटी	RJ131876195	अर्चना देवी	सूचना बोर्ड का अभाव
33	चूरू	चूरू	झारिया	RJ122065962	जरीना मुश्ताक	सूचना बोर्ड का अभाव
34	चूरू	चूरू	जसारासर	–	–	स्वीकृति के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
35	चूरू	चूरू	खंडवा	–	–	मनरेगा योजना का मस्टर रोल जारी नहीं
36	चूरू	राजगढ़	ख्याली	RJ131423486	यतेरी	सूचना बोर्ड का अभाव
37	चूरू	राजगढ़	फडसर	RJ2213370	माया/मनफूल	लाभार्थी किसी अन्य स्थान पर है
38	चूरू	रतनगढ़	कागड़	RJ130699116	मंजू	सूचना बोर्ड का अभाव
39	चूरू	रतनगढ़	कागड़	RJ132383652	शारदा	सूचना बोर्ड का अभाव
40	चूरू	रतनगढ़	कागड़	RJ123503419	सुमन/गीताराम	सूचना बोर्ड का अभाव
41	चूरू	रतनगढ़	कागड़	RJ130685937	पलाराम नायक	सूचना बोर्ड का अभाव
42	चूरू	रतनगढ़	कागड़	RJ123495205	सोना	सूचना बोर्ड का अभाव
43	चूरू	रतनगढ़	कुसुमदेसर	RJ131186528	पार्वति केशाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
44	चूरू	रतनगढ़	कुसुमदेसर	RJ131186974	बबीता कंवर/दान सिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
45	चूरू	रतनगढ़	कुसुमदेसर	RJ131187338	विमला/सुरजाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
46	चूरू	रतनगढ़	कुसुमदेसर	RJ131187584	मंजू कंवर	सूचना बोर्ड का अभाव
47	चूरू	सरदारशहर	बराजसर	RJ106722488	हिदायत बानो	सूचना बोर्ड का अभाव
48	दौसा	दौसा	काली पहाड़ी	RJ106771016	शकुन्तला	सूचना बोर्ड का अभाव
49	दौसा	दौसा	काली पहाड़ी	RJ149619040	क्मलेश बैरवा	सूचना बोर्ड का अभाव
50	दौसा	दौसा	काली पहाड़ी	RJ149751191	रमेश चन्द	सूचना बोर्ड का अभाव
51	दौसा	दौसा	सूरजपुरा	RJ149925652	कमली देवी/रामगोपाल	सूचना बोर्ड का अभाव
52	दौसा	लालसोट	खेमावास	RJ11484436	केशन्ता/प्रकाश मीणा	सूचना बोर्ड का अभाव
53	दौसा	लालसोट	महरिया	RJ114061981	संतोष देवी रेगर	सूचना बोर्ड का अभाव
54	दौसा	लालसोट	महरिया	RJ115406248	लल्लुनानगराम	सूचना बोर्ड का अभाव
55	दौसा	लालसोट	महरिया	RJ115406510	पुष्पादेवी/हंसराज	सूचना बोर्ड का अभाव
56	दौसा	लालसोट	किशोरपुरा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
57	दौसा	लालसोट	इंदावा	RJ2292993	लोटन्डा देवी/कमलेश	सूचना बोर्ड का अभाव

					गुर्जर	
58	दौसा	लालसोट	खेमावास	RJ1149741518	दिनेश कुमार सेनी	सूचना बोर्ड का अभाव
59	दौसा	लवन	राजवास	113789430	झुमी देवी	सूचना बोर्ड का अभाव
60	दौसा	महुवा	खेड़ला बुजुर्ग	113836029	सुरेश जाटव	सूचना बोर्ड का अभाव
61	दौसा	महुवा	सामलेटी	RJ114208098	रामफुल मीना / मुस्या मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
62	दौसा	नागलराजावतन	मालवास	RJ106294528	अन्नु देवी / लाखाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
63	दौसा	नागलराजावतन	मालवास	RJ106294528	अन्नु देवी / लाखाराम	शौचालय नही मिला।
64	दौसा	नागलराजावतन	श्यायलवास	RJ107058180	नीलम देवी / कजोड मीणा	सूचना बोर्ड का अभाव
65	दौसा	रामगढ़ पचवारा	गोपालपुरा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
66	धौलपुर	बाड़ी	मंसुरा	RJ131738297	लाखन सिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
67	हनुमानगढ़	29 DWD	रावतसर	RJ135310877	प्रकाश	सूचना बोर्ड का अभाव
68	हनुमानगढ़	29 DWD	रावतसर	RJ132544447	सावित्री	सूचना बोर्ड का अभाव
69	हनुमानगढ़	29 DWD	रावतसर	RJ133055906	मंजू	सूचना बोर्ड का अभाव
70	जयपुर	भोजपुरा कलां	जोबनेर	RJ150289413	मायादेवी	सूचना बोर्ड का अभाव
71	जालोर	आहोर	भोरड़ा	2376204	लीला / कसाराम	खराब गुणवत्ता
72	जालोर	आहोर	चारली	RJ132991031	कमला देवी / गणेशाराम	प्लास्टर नहीं मिला
73	जालोर	भीनमाल	थोबाऊ	RJ102441973	चतराराम	प्लास्टर नहीं मिला
74	जालोर	भीनमाल	थोबाऊ	RJ102441973	चतराराम	सूचना बोर्ड का अभाव
75	जालोर	जसवंतपुरा	मंडोली	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
76	जालोर	जसवंतपुरा	राजीकावास	RJ1842861	चतराराम / कुस्तुराराम	सूचना बोर्ड का अभाव
77	जालोर	जसवंतपुरा	राजपुरा	RJ129996485	नारण सिंह / हरिसिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
78	जालोर	सांचौर	मेड़ा जागीर	RJ2257783	–	सूचना बोर्ड का अभाव
79	जालोर	सारनाऊ	पुर	–	देया देवी / लसूराम भील	सूचना बोर्ड का अभाव
80	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ3073523	संगडती	सूचना बोर्ड का अभाव
81	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ3233167	प्रकाश विश्नोई	सूचना बोर्ड का अभाव
82	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ3233167	किशनाराम / गुणाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
83	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ3035946	राणाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
84	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ3068328	बादली	सूचना बोर्ड का अभाव

85	जालोर	सारनाऊ	सांकर	RJ102209658	मोहनलाला गोर्धनराम	सूचना बोर्ड का अभाव
86	झालावाड़	डग	पांडलिया	RJ1196794005	गुडडी कंवर/मंण्डू सिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
87	झालावाड़	झालरापाटन	गागरोन	RJ148642083	कस्तुरी बाई/बलराम	सूचना बोर्ड का अभाव
88	झालावाड़	झालरापाटन	गागरोन	RJ1137190675	राममटोल/गोपाललाल	सूचना बोर्ड का अभाव
89	झुंझुनूं	सूरजगढ़	बलोदा	RJ1102254321	राजबाला /फुलाराम	तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई, जबकि मकान पूर्ण है
90	झुंझुनूं	सूरजगढ़	बलोदा	RJ 102261758	कविता /बलबीर सिंह	तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई,
91	जोधपुर	आऊ	केरला	–	–	21-22 में स्वीकृत आवास, 23-24 में पूर्ण किया गया
92	जोधपुर	आऊ	बरसिंगो का बास	RJ137360909	हिरो शम्भूराम	27 आवास स्वीकृत, लेकिन 01 आवास कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
93	जोधपुर	धावा	इमाम नगर (रबड़िया)	RJ136546463	अणची लालाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
94	जोधपुर	धावा	इमाम नगर (रबड़िया)	RJ136546460	कुनणी जुगताराम	सूचना बोर्ड लगा हुआ था लेकिन आवास आईडी नही पायी गयी
95	जोधपुर	धावा	इमाम नगर (रबड़िया)	RJ136546453	पपुडी/हिराराम	सूचना बोर्ड का अभाव
96	जोधपुर	धावा	उत्तेसर	–	–	21-22 में स्वीकृत आवास, 23-24 तक भुगतान नहीं हुआ
97	जोधपुर	घंटियाली	जेसला	RJ133126455	सुआ /आशाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
98	जोधपुर	घंटियाली	जेसला	RJ1325324	कालुराम/कानाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
99	जोधपुर	घंटियाली	जेसला	RJ3624551	हिराराम /लूनाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
99	जोधपुर	घंटियाली	जेसला	RJ318387	मंगलाराम /अमोलखराम	सूचना बोर्ड का अभाव
100	जोधपुर	घंटियाली	खाजूसर	RJ135509805	थुडी/जेठाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
101	करौली	मंद्रायल	बेहरदा	RJ142107123	रामधन	सूचना बोर्ड का अभाव
102	करौली	मंद्रायल	बेहरदा	RJ141416902	नीशा	सूचना बोर्ड का अभाव
103	करौली	मंद्रायल	भाकरी	RJ141635339	अमर सिंह मीणा	सूचना बोर्ड का अभाव
104	करौली	मंद्रायल	भाकरी	RJ149440643	कन्हैयालाल मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
105	करौली	मंद्रायल	भाकरी	RJ141636685	सरोज	सूचना बोर्ड का अभाव
106	करौली	मंद्रायल	औण्ड	RJ1421132300	लक्ष्मीनारायण	आवास स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
107	करौली	मंद्रायल	औण्ड	RJ142131791	अटरो	आवास स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
108	करौली	मंद्रायल	औण्ड	RJ142037649	सुनिता	आवास स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
109	करौली	मंद्रायल	औण्ड	RJ142037677	परिक्षत	आवास स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
110	करौली	मासलपुर	दुकावली	RJ137736728	रजन्ति	सूचना बोर्ड का अभाव
111	करौली	मासलपुर	दुकावली	RJ132863885	देवीसिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
112	करौली	मासलपुर	दुकावली	–	–	आवास स्वीकृति 6 पूर्ण 04
113	करौली	नरोती	गाठमीरा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव

114	करौली	नरोती	धोरेटा	RJ140909661	रूप सिंह धोरी मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
115	कोटा	खैराबाद	लक्ष्मीपुरा	RJ125556362	मान कंवर	सूचना बोर्ड का अभाव, लाभार्थी का पलायन, शौचालय निर्मित नही। राज्य /केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधनों के अनुसार सोलर लाइट/सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं
116	कोटा	इटावा	सीनोटा	–	–	आवास स्वीकृति उपरान्त भी 23-24 में कोई आवास पूरा नहीं बना
117	कोटा	खैराबाद	अनियाकला	RJ13102996	राममूर्ति	केवल एक किस्त प्राप्त हुई
118	पाली	देसूरी	बेगुड़ा जाटक	RJ131268211	केसी/मोडाराम	आवास उपयोग में नहीं लिया जा रहा
119	पाली	देसूरी	बेगुड़ा जाटक	RJ131619574	प्रमोदकुमार/नवाराम	आवास उपयोग में नहीं लिया जा रहा
120	पाली	देसूरी	बेगुड़ा जाटक	RJ132425140	जोताराम/गगनाराम	आवास उपयोग में नहीं लिया जा रहा
121	पाली	मारवाड़ जंक्शन	धनला	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
122	पाली	मारवाड़ जंक्शन	हेमलियावास खुर्द	RJ2558989	पदम सिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
123	पाली	मारवाड़ जंक्शन	कराड़ी	RJ130747891	हरिराम/गिरधारीलाल	सूचना बोर्ड का अभाव
124	पाली	मारवाड़ जंक्शन	कराड़ी	RJ150138743	मेघाराम/आशाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
125	पाली	रोहट	खुदावास	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
126	पाली	रोहट	निम्बली खुर्द	RJ133239589	श्रीमती जमना	90 दिन में केवल 21 दिन का भुगतान
127	पाली	सुमेरपुर	पालड़ी	RJ1318981362	सीता/मोहाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
128	पाली	सुमेरपुर	सालोदिया	RJ1791479	विमला/सेवाराम	सूचना बोर्ड का अभाव
129	पाली	सुमेरपुर	सालोदिया	RJ1824363	मांगीलाल/चमनाजी	सूचना बोर्ड का अभाव
130	प्रतापगढ़	अरनोद	आचजरा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
131	प्रतापगढ़	धरियावद	सिन्हाड़	RJ100950443	होमली/केलिसा	मनरेगा के कार्य की राशि प्राप्त नही हुयी व एक ही आवास दो लोगो का बताया जा रहा है।
132	सवाई माधोपुर	बामनवास	ककराला	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
133	सवाई माधोपुर	बामनवास	नरोली चोड	–	–	आवास को दुकान बना दिया गया है।
134	सवाई माधोपुर	बामनवास	दुण्डिला	RJ3142686	श्यामलाल महावर	21-22 में स्वीकृत आवास, 23-24 तक भुगतान नहीं हुआ
135	सवाई माधोपुर	बामनवास	लिवाली	RJ105085737	सीताराम/श्रमण हरिजन	एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध नही। कार्य प्रगतिरत।

136	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	पचोलास	RJ142005303	सलमा / जाहिर खान	सूचना बोर्ड उज्जवलता योजना,पेयजल, शौचालय, विद्युत कनेक्शन का अभाव ।
137	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	पचोलास	RJ142005298	जरिना / फरियाद खान	सूचना बोर्ड उज्जवलता योजना, पेयजल, शौचालय, विद्युत कनेक्शन का अभाव ।
138	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	तपूर	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
139	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	शिवाड़	RJ105082231	सुनिता	सूचना बोर्ड का अभाव
140	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	बांधा	RJ114068368	चौथी मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
141	सीकर	धोद	गोठरा भुखरन	RJ149525516	सुभाष चन्द्र	सूचना बोर्ड का अभाव
142	सीकर	फतेहपुर	बालोद भाखरा	RJ117016861	परमेश्वरी / टीकूराम	सूचना बोर्ड का अभाव
143	सीकर	फतेहपुर	हर्सावा बड़ा	RJ134389527	सुमन / हनफुल	सूचना बोर्ड का अभाव
144	सीकर	खंडेला	दुलेहपुरा	RJ116146167	क्मला देवी / झाबरमल वर्मा	सूचना बोर्ड का अभाव
145	सीकर	लक्ष्मणगढ़	कुमास जाटन	RJ148939719	प्रभुदयाल / सत्यनारायण	सूचना बोर्ड का अभाव
146	सीकर	लक्ष्मणगढ़	बलारा	RJ117925456	प्रेम प्रकाश	सूचना बोर्ड का अभाव
147	सीकर	पिपराली	कोलीड़ा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
148	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	गोविंदगढ़	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव, प्लास्टर का अभाव।
149	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	कर्ड़ू	RJ3477162	शान्ति देवी / साजन	20211–22 से आवास स्वीकृत होने पर भी कार्य पूर्ण नही है। सूचना बोर्ड, प्लास्टर व शौचालय का अभाव
150	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर	4B 1D	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
151	टोंक	देवली	देवलीगांव	RJ1829973	हिरालाल माली / रामचन्द्र माली	सूचना बोर्ड का अभाव
152	टोंक	देवली	कंवारा	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
153	टोंक	देवली	सावंतगढ़	RJ1286540	पार्वति	सूचना बोर्ड का अभाव
154	टोंक	मालपुरा	राजपुरा	RJ1362843	मांगीलाल	सूचना बोर्ड का अभाव
155	टोंक	मालपुरा	राजपुरा	RJ100454737	बनवारी	सूचना बोर्ड का अभाव
156	टोंक	मालपुरा	किरावल	RJ2638324	ओमा बैरवा / बडी बैरवा	छत स्तर का कार्य नही मिला
157	टोंक	मालपुरा	लाम्बाहरिसिंह	RJ106299117	सलमा / हमीद खान	सूचना बोर्ड का अभाव
158	टोंक	मालपुरा	इंदोली	RJ1925527	भंवरलाल	सूचना बोर्ड का अभाव
159	टोंक	कठोलिया	मालपुरा	RJ129860130	शिवराज सिंह / भवर सिंह	सूचना बोर्ड का अभाव
160	टोंक	निवाई	मुंडिया	RJ1061311951	सुरेश मीना / रामकिशोर मीना	प्लास्टर का अभाव

161	टोंक	निवाई	झिलाय	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
162	टोंक	निवाई	जामडोली	RJ114071441	निर्मला / कमलेश मीनाा	प्लास्टर का अभाव
163	टोंक	निवाई	गुंसी	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
164	टोंक	पीपलू	संदेडा	–	मनोहरी / पप्पु बैरवा	सूचना बोर्ड का अभाव
165	टोंक	पीपलू	नाथड़ी	2722004128	शान्ती / कजोड खटीक	सूचना बोर्ड का अभाव
166	टोंक	पीपलू	नाथड़ी	2722004128	नीरू / रामवतार	सूचना बोर्ड का अभाव
167	टोंक	उनियारा	काकोड़	–	–	सूचना बोर्ड का अभाव
168	टोंक	उनियारा	मोहम्मदगढ़	RJ142482790	सपना / धनराज मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
169	टोंक	उनियारा	मोहम्मदगढ़	RJ150363367	आशादेवी / प्रताप चौपदार	सूचना बोर्ड का अभाव
170	टोंक	उनियारा	मोहम्मदगढ़	RJ146035493	चन्द्रकला देवी / कन्हेयालाल मीना	सूचना बोर्ड का अभाव
171	टोंक	उनियारा	फुलेटा	RJ1229736	मनभर / हजारी नायक	ग्राम पंचायत में पीएम आवास का रिकॉर्ड नहीं मिला
172	टोंक	उनियारा	फुलेटा	RJ31912129	सन्तरा / रामस्वरूप बैरवा	ग्राम पंचायत में पीएम आवास का रिकॉर्ड नहीं मिला
173	टोंक	उनियारा	उखलाना	RJ133256988	गायत्री देवी / बिरदी चन्द शर्मा	सूचना बोर्ड का अभाव
174	टोंक	उनियारा	रूपवास	RJ1120918187	अनिता / बिरमा बैरवा	सूचना बोर्ड का अभाव
175	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ119983906	रामुडी / किसन	जियोटैग के बाद भी तीसरी किस्त नहीं आई
176	उदयपुर	भींडर	कुथवास	–	–	रिकॉर्ड प्राप्त नहीं
177	उदयपुर	भींडर	नगालिया	–	–	रिकॉर्ड प्राप्त नहीं
178	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ132919903	लकमा / हिरा	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
179	उदयपुर	सलुम्बर	गुडेल	–	–	मकान का कार्य अधुरा मिला।
180	उदयपुर	कुराबड़	धार	RJ114168624	ककुडी / किसन	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
181	उदयपुर	भींडर	सालेरा	–	–	रिकॉर्ड प्राप्त नहीं
182	उदयपुर	भींडर	सावना	–	–	रिकॉर्ड प्राप्त नहीं
164	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ132931825	उदा / नाना	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
165	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ120463493	डालमराम / चमना	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
166	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ119984801	हंसलाल / भेरा	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
167	उदयपुर	बड़गांव	धार	RJ115191904	हरिराम / परता	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
168	उदयपुर	कुराबड़	बोरी	RJ101008814	जीवा / धुजा जी	जियो टैग करने के बाद भी तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है
169	उदयपुर	सलुम्बर	इसरवास	RJ2647721	पेमाजी मीणा	आवास का कार्य प्रारम्भ नही किया प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी।

11. सामाजिक अंकेक्षण आंकलन एवं विश्लेषण

<u>सामाजिक अंकेक्षण में पायी गई अनियमितताऐ/कमियों के बिन्दु :-</u>

वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कें सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त मुख्यतः निम्न कमिया पाई गई:-

क्र.सं.	सामाजिक अंकेक्षण में पायी गई अनियमितताऐं	कुल प्रकरणों की संख्या
1	महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं।	04
2	PMAY(G) लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नही ।	132
3	वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं।	14
4	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग।	07
5	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाना।	02
6	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन ।	05
7	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं ।	04
8	आवास में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही ।	03
9	स्वच्छ पेयजल/उज्जवला/एलपीजी है या नहीं ।	05
10	रिकोर्ड उपलब्ध नही।	04

Pradhan Mantri
Awaas Yojana-Gramin
प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण

12. अधिकतम अनियमितताओं का विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अधिकतम अनियमितताओं का विवरण :-

संभाग	अनियमितताएं
अजमेर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	रिकोर्ड अप्राप्त।
भरतपुर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
बीकानेर	प्लास्टर का अभाव।
	लाभार्थी का पलायन।
	स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
जयपुर	शौचालय निर्मित नही।
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	आवास पूर्ण उपरान्त तीसरी किश्त प्राप्त नही।
जोधपुर	खराब गुणवत्ता।
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नही।
	आवास उपयोग में नही।
	प्लास्टर का अभाव।
	मनरेगा की कम मजदूरी।
कोटा	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	आवास निर्मित नही होने पर भी भुगतान।
	लाभार्थी सहमति के बिना अन्य जोबधारक को भुगतान।
उदयपुर	आवास पूर्ण उपरान्त तीसरी किश्त प्राप्त नही।
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	आवास अपूर्ण।
	मनरेगा की राशि अप्राप्त।

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण

Government of Rajasthan

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT) Rajasthan, Jaipur

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी

Created by:- SRP SABA HASHMI